उ०प्र० भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,

राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन),
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

पीठ–01

उपस्थिति :– श्रीमती कल्पना मिश्रा (सदस्या) **दिनांक : 25.07.2022**

सुजाता कुमारी व अन्य शिकायतकर्तागण/मॉनिटरिंग कमेटी

बनाम

मेसर्स अग्रणी होम्स प्रा०लि०

सुनवाई विवरण

दिनांक 25.07.2022 को शिकायतकर्तागण एवं मॉनिटरिंग कमेटी के अधिवक्ता श्री अरविन्द शुक्ला व श्री अजय कुमार भौतिक रूप से उपस्थित हैं तथा विपक्षी की ओर से श्री आलोक सिंह एवं उनके अधिवक्ता श्री संजय अवस्थी भौतिक रूप से उपस्थित हैं। शिकायतकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.05.2022 को प्रार्थना पत्र दाखिल की गयी थी जिसमें दिनांक 10.12.2021, 24.12.2021 एवं 22.01.2022 को मा० पीठ द्वारा प्लॉट विक्रय हेतु दिये गये अनुमति पर रोक लगाये जाने की याचना की गयी थी। दिनांक 25.07.2022 को शिकायतकर्तागण एवं मॉनिटरिंग कमेटी के अधिवक्ता श्री अरविन्द शुक्ला द्वारा मौखिक रूप से Monitoring Committee को समाप्त करने का अनुरोध किया गया जिस पर विपक्षी द्वारा भी मौखिक रूप से सहमति जताई गयी।

मैंने उभयपक्षों के सम्बन्धित प्रार्थना पत्र दिनांक 09.05.2022 तथा Monitoring Committee के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 09.06.2021 पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों तथा उभय पक्षों की मौखिक सहमति के आधार पर निम्नवत् आदेश पारित किये जाते हैं :–

1. दिनांक 09.06.2021 को गठित की गयी Monitoring Committee को भंग किया जाता है।

2. इस सम्बन्ध में भूमि के क्रय–विक्रय से सम्बन्धित पारित सभी आदेशों को समाप्त किया जाता है।
3. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्तागण की धनराशि को वापस करना सुनिश्चित करें।

Kmisra 25/7/22

(कल्पना मिश्रा)
सदस्या
उ०प्र० भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण